

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक प.11(2)नविवि / 2023

जयपुर, दिनांक:— 30 JUN 2023

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार विशिष्ट नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर को देवली (जिला-टॉक) के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्न राजस्व ग्राम सम्मिलित किए जाते हैं, का सिविक सर्वेक्षण करने एवं मार्स्टर प्लान क्षितिज वर्ष-2045 तैयार करने हेतु नियुक्त करती है:—

क्र. सं.	राजस्व ग्राम का नाम	NAME OF VILLAGE
	हिन्दी	अर्गेंजी
(अ)	जिला- टॉक	DISTRICT- TONK
1.	देवली गांव	DEOLI GAON
2.	अम्बापुरा	AMBAPURA
3.	माधोसिंहपुरा	MADHOSINGHPURA
(ब)	जिला- भीलवाडा	DISTRICT- BHILWARA
1.	कुंचनवाडा कलां	KUNCHALWARA KALAN
2.	हनुमान नगर	HANUMAN NAGAR
3.	ऊंचा	UNCHA
4.	अम्बेडकर कॉलोनी	AMBEDKAR COLONY

राज्यपाल की आज्ञा से,

(संचिता बिश्नोई)
 संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।

4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, टॉक।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक(पश्चिम), राजस्थान, जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर।
9. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, देवली (टॉक)।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक .06.2023 में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

||
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय